

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./शिका/2018/233


दिनांक: 16/04/18

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-भरतपुर।

विषय:- श्री रामकुमार, कनिष्ठ लेखाकार को आन्तरिक जांच दल में लगाने बाबत।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1713-18 दिनांक 10.04.2018।

निर्देशानुसार सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर के आदेश संख्या दिनांक 30.03.2018 में आदेश 420/2017-2018 की पालना में श्री रामकुमार, कनिष्ठ लेखाकार नें आपके कार्यालय में 31.03.2018 को मध्यान पश्चात कार्यग्रहण किया गया है।

अतः श्री रामकुमार, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा 16.04.2018 को उपस्थिति देने के फलस्वरूप इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम आदेश क्रमांक 7087 दिनांक 22.03.2018 के अनुसरण में श्री च्यवन सिंह जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम को आवंटित आन्तरिक जांच कार्य में दिनांक 17.04.2018 से आन्तरिक जांच दल सदस्य के रूप में कार्य सम्पादन करने के लिये निर्देशित किया जाता है।



वित्तीय सलाहकार,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./शिका./2018/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. श्री च्यवन सिंह जोरवाल, सहायक लेखाधिकारी-प्रथम श्री रामकुमार
4. कनिष्ठ लेखाकार जोन-भरतपुर को पालनार्थ प्रस्तुत है।
5. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।


वित्तीय सलाहकार,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर